



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240597
CG-DL-E-26112022-240597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5270]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्राहायण 4, 1944

No. 5270]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5500(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट NH 80 के किमी. 190.00 से किमी. 215.00 (साहिबगंज बायपास सहित) और किमी. 260-00 से 283-00 किमी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 80 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी. 190 से	झारखंड	साहिबगंज	बरहरवा	1 आसनपुर
						2 सिरासिन

		215 तक				3 मधुपुर
2	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी. 260 से 283 तक	झारखंड	साहिबगंज	उधवा	1 मसना

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA/Pkg-II]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2022

S.O. 5500(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 190.00 to km. 215.00 (including sahibganj bypass) and from Km. 260.00 to Km. 283.00 of the NH 80 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 80 in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition	190KM To 215KM	JHARKHAND	SAHIBGANJ	Barharwa	1 Ashanpur 2 Sirasin 3 Madhupur
2	District Land Acquisition	260KM To 283KM	JHARKHAND	SAHIBGANJ	Udhwa	1 Masna

[F. No. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA/Pkg-II]

RAJESH GUPTA, Director